उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्या -क0नि0-2- 122 / ग्यारह-9(107)/ 07 उ0प्र0 एक्ट-30-2007-आदेश-(53)-2010
लखनऊ:: दिनांक 19 जनवरी, 2010

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 में संशोधन करने के प्रयोजन से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2010

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td>1.</td><td colspan="2">(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2010 कही जायेगी।
(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 4 का संशोधन</td><td>2.</td><td colspan="2">उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
<table>
<tr><td>स्तम्भ-एक</td><td>स्तम्भ-दो</td></tr>
<tr><td>विद्यमान नियम</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td>4 (1) प्रत्येक व्यापारी जो अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, किसी कर अवधि के लिए अपनी विवरणी प्रारुप-ग में कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।</td><td>4 (1) प्रत्येक व्यापारी जो अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, प्रत्येक कर अवधि के लिए अपनी विवरणी प्रारुप-ग में कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
(2) धारा 8 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यापारी को छोड़कर कर का देनदार प्रत्येक व्यापारी प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए स्वत: निर्धारित कर की वार्षिक विवरणी प्रारूप-च में कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।</td></tr>
<tr><td>(2) विवरणी एवं वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तथा कर निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली-2008 के नियम-45 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिनियम के अधीन</td><td>(3) विभिन्न कर अवधियों की विवरणी एवं वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली, 2008 के ऐसे विवरणी को प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित उपबन्ध यथा आवश्यक</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			सभी व्यापारियों पर लागू होंगें।	परिवर्तनों सहित लागू होंगे : प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए वार्षिक विवरणी दिनांक 31 जनवरी, 2010 तक प्रस्तुत की जा सकती है, अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार अथवा कमिश्नर संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण नियत अवधि में वार्षिक विवरणी व्यापारियों द्वारा समान्यतया प्रस्तुत नहीं की जा सकी तो राज्य सरकार अथवा कमिश्नर, जैसी भी स्थिति हो, किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की अवधि बढ़ा सकते हैं। (4) प्रत्येक व्यापारी, जिसका उत्तर प्रदेश में स्थिर व्यापार स्थल न हो और जो कर का देनदार हो लेकिन जिस पर किसी कर अवधि का अथवा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने का दायित्व नहीं है,- (एक) माल की खरीदों अथवा प्राप्तियों पर देय कर दैनिक रूप से जमा करेगा। किसी भी दिन के माल की खरीदों अथवा प्राप्तियों पर देय कर अगले कार्य दिवस तक जमा किया जायेगा। (दो) खण्ड (एक) के अनुसार जमा किये गये कर के कोषागार चालान की एक प्रति प्राप्त माल की बीजक अथवा चालान, जैसी भी स्थिति हो, की एक प्रति एवं उसकी बिल्टी की एक प्रति के साथ उपनियम (5) में निर्दिष्ट समय के अन्दर अपने कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (तीन) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् वर्ष के दौरान हुयी समस्त माल की प्राप्तियों और की गयी खरीदों का समेकित विवरण, जमा कर के कोषागार चालानों के विवरण तथा चालानों एवं बीजकों के जमा करने की रसीदों के विवरण के साथ उपनियम (5) में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर अपने कर निर्धारण

		(3) कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर, कर निर्धारक प्राधिकारी, ऐसी जॉच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में व्यापारी के माल का कुल मूल्य तथा धारा-5 के अधीन कर वापसी की धनराशि को अवधारित करेगा और संदेय कर तथा कर वापसी, यदि कोई हो, को अवधारित करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यापारी के मामले में, जिसने किसी कर निर्धारण वर्ष के दौरान व्यापार बन्द कर दिया है, कर निर्धारक प्राधिकारी, कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के पूर्व कर निर्धारण का आदेश दे सकेगा और उस पर संदेय कर एवं कर वापसी को निर्धारित कर सकेगा। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार माल का कुल मूल्य एवं कर वापसी की धनराशि को अवधारित करने से पूर्व, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणी, यदि कोई हो, को अस्वीकार करने के लिए व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी	प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। व्यापारी इन विवरणों के साथ कोषागार चालानों की मूल प्रतियां तथा माल के बीजक अथवा चालान की प्रतियां भी जमा करेगा, यदि यह पूर्व में प्रस्तुत नहीं किये गये हों। व्यापारी उक्त विवरणों के साथ कर के आगणन और मांग या, यथास्थिति, वापसी की धनराशि का विवरण भी जमा करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य में अपना व्यापार बन्द कर देता है तो वह इस खण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इन विवरणों को प्रस्तुत करेगा। (5) उपनियम (4) में संदर्भित व्यापारी का कर निर्धारण प्राधिकारी वही होगा जो उसके उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कैजुअल डीलर के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होने पर कर निर्धारण प्राधिकारी होता। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के कैजुअल डीलर से संबंधित विवरणी एवं कोषागार चालान जमा करने के समय तथा कर निर्धारण की समय सीमा से सम्बन्धित अन्य प्राविधान यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अधिनियम के संगत मामलों में इस उपबन्ध के साथ ही लागू होंगे कि इनमें अधिनियम के प्रयोजनार्थ विवरणी के स्थान पर उपनियम (4) के खण्ड (तीन) में उल्लिखित समेकित विवरण रख दिया जायेगा। (6) कर निर्धारक प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार माल का कुल मूल्य एवं उस पर देय कर की धनराशि अवधारित करने के पूर्व व्यापारी को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त अवसर देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। (7) यदि निर्धारित कर तथा व्यापारी द्वारा जमा

		करेगा और उसके सम्बन्ध में उत्तर प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा। (4) यदि निर्धारित कर तथा व्यापारी द्वारा जमा की गयी कर की कुल धनराशि में अन्तर हो, तो उस अन्तर को कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, वसूल या वापस किया जायेगा।			की गयी कर की कुल धनराशि में अन्तर है, तो उस अन्तर को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, व्यापारी से वसूल या उसे वापस किया जायेगा।
नियम 5 का संशोधन	3	उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-			
		स्तम्भ-एक		स्तम्भ-दो	
		विद्यमान नियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
		कर उदग्रहण की वापसी	5- (1) राज्य के भीतर सम्व्यवहार की दशा में अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) तथा (ङ) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा कर उद्ग्रहण की वापसी का दावा किया जाता है, तो उसे राज्य के क्रेता या पारेषिती व्यापारी से प्रारूप-घ में घोषणा का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा जिस अवधि से सम्व्यवहार सम्बन्धित हो, उस अवधि की समाप्ति के तीन माह के अन्दर उसकी मूल प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सम्बन्धित व्यापारी पर्याप्त कारणवश उपर्युक्त घोषणा के प्रमाण पत्र को उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं कर सका है तो वह ऐसे प्रमाण पत्र को ऐसे अग्रतर समय के भीतर जो वार्षिक विवरणी को दाखिल करने के लिये विहित या अनुज्ञात समय के अपश्चात हो, प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान	विशेष दशाओं में कर की वापसी	5-(1)अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3-क) में निर्दिष्ट कर के भुगतान के साक्ष्य के संबंध में की जाने वाली घोषणा प्रारुप-घ में होगी। (2) प्रत्येक व्यापारी जो ऐसा माल खरीदने या स्थानीय क्षेत्र में लाने का दावा करता है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में कर का भुगतान कर दिया गया है, अपने ठीक पूर्ववर्ती व्यापारी से उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और उसकी मूल प्रति, वार्षिक विवरणी या यथास्थिति नियम 4 के उपनियम (4) के खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट समेकित विवरण के साथ कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (3) प्रत्येक व्यापारी जो किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र से लाये गये माल पर इस आधार पर कर का दायित्व स्वीकार नहीं करता है कि ऐसा माल किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र के व्यापारी को बेचा गया है या यथास्थिति अन्तरित किया गया है, अपने द्वारा जारी बीजक पर उक्त

			कर सकता है। (2) उपनियम-(1) के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली-2008 के नियम-56 के उपनियम-(2) से उपनियम-(16) तक के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। (3) उपनियम(1) के अधीन विहित एकल प्रारूप से वित्तीय वर्ष के दौरानं अधिकतम रूपये पॉच लाख की आर्थिक सीमा तक सम्व्यवहार किया जायेगा, परन्तु यह आर्थिक सीमा निम्नलिखित प्रकार के व्यापारियों पर लागू नहीं होंगीं :- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा स्थापित या उसके अधीन गठित निगम या उपक्रम या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा-617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी जिसका वार्षिक आवर्त रुपये 5 करोड़ या उससे अधिक है, या		आशय की घोषणा करेगा। (4) उपनियम (2) और (3) के प्रयोजनार्थ माल को बेचने या अन्तरित करने वाला व्यापारी किसी बीजक से आच्छादित समस्त माल को कर प्रदत्त माल होने की घोषणा कर सकता है, भले ही ऐसा माल, मिले-जुले एवं पृथक न किये जाने योग्य कर-प्रदत्त एवं करदेय माल में से हो, यदि उक्त बीजक और पूर्व की ऐसी बीजकों से बेचे गये माल की मात्रा, कर प्रदत्त प्राप्त किये गये माल की कुल मात्रा और उस माल की मात्रा जिस पर व्यापारी द्वारा स्वयं कर जमा किया गया हो, से अधिक न हो। यही सिद्धान्त वहां भी लागू होगा जहां माल पर कर के भुगतान की स्थिति अन्यथा घोषित हो। (5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा पत्र जारी किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली, 2008 के घोषणा पत्रों को जारी किये जाने से सम्बन्धित प्राविधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। (6) उपनियम (1) के अधीन विहित एकल प्रारूप से वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम रूपये पॉच लाख की आर्थिक सीमा तक सम्व्यवहार किया जायेगा, परन्तु यह आर्थिक सीमा निम्नलिखित प्रकार के व्यापारियों पर लागू नहीं होंगीः- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा स्थापित या उसके

			(ख) ऐसा व्यापारी, जिसका वार्षिक आवर्त रुपये 25 करोड़ या उससे अधिक है।		अधीन गठित निगम या उपक्रम या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी जिसका वार्षिक आवर्त रुपये 5 करोड़ या उससे अधिक है, या (ख) ऐसा व्यापारी, जिसका वार्षिक आवर्त रुपये 25 करोड़ या उससे अधिक है।
			(4) अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के मामले में, धारा-5 की उपधारा-(1) के खण्ड (क), (ख), (घ) तथा (ड.) के अधीन कर उदग्रहण की वापसी का दावा करने वाले व्यापारी के लिए, केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियमावली-1957 के नियम-12 के उपनियम (1), (5), (10), (11) तथा (11क) के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी को दाखिल किये गये घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, कर वापसी के लिए पर्याप्त साक्ष्य माना जायेगा।		(7) अधिनियम की धारा 5 के अधीन कर की वापसी या समायोजन हेतु केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की कार्यवाहियों के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12 के अधीन प्राविधानित घोषणा-पत्र या प्रमाण पत्र इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य होगें कि माल राज्य के बाहर पारेषित या अन्तरित हो गया है या, यथास्थिति, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय किया जा चुका है या भारत की सीमा के बाहर निर्यात हो चुका है। प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति को भेजा गया है जिस पर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 7 लागू नहीं होती है तो व्यापारी अपने क्षेत्र के कर निर्धारण प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो कि माल राज्य की सीमा से वास्तव में बाहर चला गया है: - (1) बिल्टी रसीद/ रेलवे रसीद की

			(5) कर उद्ग्रहण की वापसी के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली-2008 के नियम-50 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें।		प्रति (2) बिल / चालान की प्रति। (3) भुगतान का विवरण। (4) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या राज्य के बाहर माल के स्थानान्तरण या पारेषण की दशा में माल के क्रेता या प्राप्तकर्ता का इस आशय का प्रमाण पत्र कि प्रश्नगत माल वास्तव में उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। (8) कर की वापसी के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली, 2008 के कर की वापसी से संबंधित प्राविधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगे।
नियम 7 का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ,अर्थात्:-			
		स्तम्भ -एक		स्तम्भ -दो	
		विद्यमान नियम		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
		7- अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित माल का उत्तर प्रदेश में किसी व्यापारी को विक्रय, आपूर्ति या अन्यथा भेजे जाने के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तरदायी विनिर्माता - (क) माल के मूल्य पर देय कर की धनराशि को सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से वसूली करेगा और उसे अगले उत्तरवर्ती मास की 20 तारीख को या उससें पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करेगा : प्रतिबन्ध यह है कि 31मार्च को समाप्त होने वाली कर अवधि के लिये 20 मार्च तक इस प्रकार वसूले		7- अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित माल का उत्तर प्रदेश में किसी व्यापारी को विक्रय, आपूर्ति या अन्यथा भेजे जाने के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तरदायी विनिर्माता- (क) माल के मूल्य पर देय कर की धनराशि को प्राप्त करेगा और उसे अगले उत्तरवर्ती मास की 20 तारीख या उससें पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि 31मार्च को समाप्त होने वाली कर अवधि के लिये 20 मार्च तक इस प्रकार वसूले गये कर को उक्त माह की

			गये कर को उक्त माह की 25 तारीख तक जमा किया जायेगा; (ख) कर निर्धारक प्राधिकारी को अगले उत्तरवर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व, प्रपत्र-ड. में ऐसे आवर्त की मासिक विवरणी, जिसमें उसके अनुलग्नक में विस्तृत सूचना दी हो, कर के जमा करने के प्रमाण के लिए कोषागार चालान के साथ प्रस्तुत करेगा; (ग) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 44 के उपनियम (2) तथा (3) में विहित क्रमश: बिक्री बीजक (गैर-वैट माल या करमुक्त माल के सम्बन्ध में) या कर बीजक, यथा स्थिति, क्रेता व्यापारी या व्यक्ति को जारी करेगा जिसमें प्रवेश कर पृथक से दर्शाया जायेगा; (घ) विनिर्माता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम, 2008 व प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली, 2008 के अन्तर्गत जारी यथा स्थिति करबीजक या बिक्री बीजक, इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान का पर्याप्त प्रमाण माना जायेगा।	25 तारीख तक जमा किया जायेगा। (ख) कर निर्धारक प्राधिकारी को विभिन्न कर अवधियों की विवरणी प्रारूप-ड. में प्रस्तुत करेगा। इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली, 2008 के अन्तर्गत किसी कर अवधि के विवरणी जमा करने से सम्बन्धित प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगे। (ग) निकाल दिया गया। (घ) निकाल दिया गया।
नये नियम 8 का बढ़ाया जाना।	5.	नियम-7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-		
		विभिन्न फार्मो के प्रारूप को संशोधित करने का अधिकार।	"8 (1) राज्य सरकार को या राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने पर कमिश्नर को इस नियमावली में प्राविधानित किसी फार्म के प्रारुप को संशोधित करने का अधिकार होगा। (2) इस अवधि में जिसमें किसी फार्म के प्रारुप में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के पास लम्बित है, कमिश्नर को सम्बन्धित फार्म के विद्यमान प्रारुप को प्रास्थगित रखने का अधिकार होगा।"	

प्रारूप–ग का संशोधन	6	उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित विद्यमान प्रारूप–ग के स्थान पर अनुसूची 'ख' में यथा प्रतिस्थापित प्रारूप-ग रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची 'क'

विद्यमान प्रारूप

प्रारुप -ग

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम-4 का उपनियम (1) देखे)

कर अवधि का विवरण -पत्र -मासिक / त्रैमासिक

[साफ अक्षरों में भरा जाय]

1.	कर निर्धारण वर्ष	- -
2.	कर - अवधि के समापन का दिनांक	
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पद नाम	-
4.	मण्डल / खण्ड का नाम	-
5.	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	-
6.	कर दाता की पहचान संख्या (टिन)	-

7. स्थानीय क्षेत्र में माल की प्राप्ति एवं कर की गणना

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	स्थानीय क्षेत्र में माल की प्राप्ति तथा कर का विवरण				
		उत्तर प्रदेश के बाहर से	स्थानीय क्षेत्र के बाहर परन्तु उत्तर प्रदेश के अन्दर से		स्थानीय क्षेत्र के अन्दर से	
		धारा-2की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अन्तर्गत परिभाषित माल का मूल्य (रुपये में)	निर्माता से माल का मूल्य (रुपये में)	अन्य से धारा-2की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अन्तर्गत परिभाषित माल का मूल्य (रुपये में)	निर्माता से माल का मूल्य (रुपये में)	अन्य से धारा-2की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अन्तर्गत परिभाषित माल का मूल्य (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
योग :-						

स्थानीय क्षेत्र में प्राप्त माल का कुल मूल्य एवं उसपर कर का विवरण						
माल का मूल्य (रुपये में)	कर की दर	कर की धनराशि	कर छूट की धनराशि यदि कोई हो,	निर्माता को दिया गया कर	कोषागार में जमा कर	शेष
8 (3+4+5+6+7)	9	10	11	12	13	14 [10 - (11+12+13)]

8- माल के उपभोग, उपयोग ,बिक्री या अन्यथा निस्तारण का विवरण :- (रुपये में)

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	व्यापारी द्वारा माल का उपभोग, उपयोग, बिक्री या अन्य प्रकार से निस्तारण किये जाने का विवरण				
		अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान विक्रय या निर्यात के दौरान विक्रय या विक्रय से भिन्न अन्यथा माध्यम से माल का अन्तरण	उत्तर प्रदेश के अन्दर परन्तु स्थानीय क्षेत्र के बाहर बिक्री	स्थानीय क्षेत्र के अन्दर बिक्री	उपयोग या उपभोग किये गये माल का मूल्य	धारा- 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग) या (ङ) में तथा धारा-5 की उपधारा-(2) में यथा विनिर्दिष्ट अन्यथा निस्तारित किये गये माल का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
योग :-						

9 जमा कर का विवरण

बैंक / शाखा का नाम	चालान संख्या	दिनांक	कर की धनराशि
योग	अंकों में		
योग	शब्दों में		

संलग्नक: (1) ट्रेजरी चालान

(2) क्रमांक-7 के स्तम्भ 3,4,5,6 और 7 में दिखायी गयी खरीद का विवरण अनुलग्नक-क में, स्तम्भवार पृथक पृथक रुप से।

(3) क्रमांक- 8 के स्तम्भ 3,4,5,6 तथा 7 में दिखायी गयी बिक्री का विवरण अनुलग्नक- ख में, स्तम्भवार पृथक पृथक रुप से।

(4) क्रमांक- 7 के स्तम्भ 11 में कर छूट के दावे के प्रमाण का विवरण अनुलग्नक- ग में।

घोषणा

मैं ---------- पुत्र / पुत्री / पत्नी ---------- प्रास्थिति ---------- (अर्थात् स्वमी, निदेशक, साझीदार आदि) एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ एवं सत्यापित करता / करती हूँ कि इस विवरण -पत्र में दिये गये विवरण एवं आंकड़े मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जानबूझकर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही मिथ्या प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक ----------

स्थान ----------

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

अनुलग्नक- क

(कर अवधि ---------- वर्ष ---------- के लिए प्रारुप ग के क्रमांक- 7 के स्तम्भ -3 / 4 / 5 / 6 /7 के सापेक्ष खरीद के विवरण की अलग-अलग सूची)

1-	क्रेता व्यापारी का नाम व पता															
2-	टिन															
3-	कर निर्धारण वर्ष	2	0			-										
4-	कर अवधि समाप्त होने का दिनांक			-			-	2	0							

5-	खरीद का विवरण								
क्रम सं0	विक्रेता का नाम एवं पता	टिन	बिल / विक्रय बीजक / कर बीजक / चालान संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	बिक्री बीजक / कर बीजक में प्रदर्शित वैट की धनराशि	प्रवेश कर की धनराशि	प्रवेश कर छूट की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :----------

पूरा नाम :- ----------

प्रास्थिति :- ----------

व्यापारी का नाम एवं पता :- ----------

अनुलग्नक- ख

(कर अवधि ---------- वर्ष ---------- के लिए प्रारुप ग के क्रमांक- 8 के स्तम्भ -3 / 4 / 5 / 6 /7 में फाइल की जाने वाली बिक्री के विवरण की अलग-अलग सूची)

1-	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता																

2-	टिन											

3-	कर निर्धारण वर्ष			2	0			-				

4-	कर अवधि समाप्त होने का दिनांक			-			-	2	0			

5-	बिक्री का विवरण							
क्रम सं0	क्रेता का नाम एवं पता	टिन	बिल / विक्रय बीजक / कर बीजक / चालान संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	माल का विक्रय मूल्य (रुपये में)	सम्बन्धित क्रय धन (रुपये में)	कर की वापसी यदि कोई हो (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :----------

पूरा नाम :- ----------

प्रास्थिति :- ----------

व्यापारी का नाम एवं पता :- ----------

.....

अनुलग्नक- ग

(क्रमांक-7 के स्तम्भ-11 में दावाकृत कर छूट का विवरण)

1-	क्रेता व्यापारी का नाम व पता																

2-	टिन											

3-	कर निर्धारण वर्ष	2	0			-		

4-	कर अवधि समाप्त होने का दिनांक			-			-	2	0		

5-	खरीद का विवरण								
क्रम सं0	विक्रेता व्यापारी का नाम एवं पता	टिन	बिल / विक्रय बीजक / कर बीजक / चालान संख्या	दिनांक	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	विक्रय बीजक / कर बीजक में प्रदर्शित मूल्य सम्वर्धित कर की धनराशि	प्रवेश कर की अन्तर्वलित धनराशि	दावाकृत कर छूट की धनराशि, यदि कोई हो ,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :----------

पूरा नाम :- ----------

प्रास्थिति :- ----------

व्यापारी का नाम एवं पता :- ----------

.....

अनुसूची 'ख'

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप

प्रारुप -ग

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम 4 का उपनियम (1) देखे)

कर अवधि का विवरण -पत्र -मासिक / त्रैमासिक

[साफ अक्षरों में भरा जाय]

1.	कर निर्धारण वर्ष	- -
2.	कर - अवधि के समापन का दिनांक	-
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पद नाम	-
4.	मण्डल / खण्ड का नाम	-
5.	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	-
6.	कर दाता की पहचान संख्या (टिन)	-

7- स्थानीय क्षेत्र में माल की खरीद / प्राप्ति का विवरण :- ,

क्रम संख्या	माल का विवरण	उत्तर प्रदेश के बाहर से खरीदे गये / प्राप्त माल का धारा-2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार मूल्य	निर्माता से खरीद / प्राप्ति			ऐसे माल का मूल्य जिसकी किसी पूर्ववर्ती खरीद या बिक्री के स्तर पर कर जमा है
			निर्माता से खरीदे गये माल का मूल्य जिसपर निर्माता द्वारा कर वसूला गया है।	धारा-2 की उपधारा -(1) के खण्ड-(ज)में परिभाषित अन्य खर्चे जो माल के मूल्य का भाग है	निर्माता द्वारा वसूले गये कर की धनराशि	
1	2	3	4 क	4 ख	4 ग	5

दूसरे व्यापारियों से खरीदा गया /प्राप्त माल जिसकी किसी पूर्ववर्ती खरीद या बिक्री के स्तर पर कर जमा नहीं है		अन्य खरीदे / प्राप्तियां , यदि कोई हों,	स्तम्भ-3, 4क ,4ख , 5, 6क, 6ख एवं 7 का योग
बिक्री बीजक / कर बीजक / अन्तरण बीजक के अनुसार माल का मूल्य	धारा-2 की उपधारा -(1) के खण्ड-(ज) में परिभाषित अन्य खर्चे जो माल के मूल्य का भाग है		
6 क	6 ख	7	8

8- माल की बिक्री / अन्तरण का विवरण :-

क्रमांक	माल का विवरण	निर्यात के दौरान बिक्री		अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री		राज्य के बाहर माल का अन्तरण / पारेषण	
		माल का विक्रय मूल्य	माल का संगत खरीद मूल्य जिसपर कर जमा है	माल का विक्रय मूल्य	माल का संगत खरीद मूल्य जिसपर कर जमा है	माल की मात्रा	माल का खरीद मूल्य जिसपर कर जमा है
1	2	3 क	3 ख	4 क	4 ख	5 क	5 ख

स्तम्भ-3ख , 4ख एवं 5ख का योग	अन्य बिक्री (बिक्रीत माल का मूल्य)	बिक्रियों का योग
6	7	8

9- कर की गणना

(क) माल की खरीद पर देय कर की सकल धनराशि :-

क्रमांक	माल का विवरण	धारा-2 की उपधारा-(1) के खण्ड (ज) में परिभाषित खर्चो सहित माल का कुल खरीद मूल्य	माल का खरीद मूल्य जिसपर किसी पूर्ववर्ती खरीद या बिक्री के स्तर पर कर जमा है	बिक्रीत / अन्तरित माल का वह खरीद मूल्य जिसपर उसके क्रेता / अन्तरिती पर कर दायित्व है	करयोग्य खरीद की धनराशि (3-4-5)	कर की दर	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

(ख) घटाइये :-

(i) भारत के बाहर निर्यातित अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्रीत अथवा राज्य के बाहर पारेषित या अन्तरित माल पर वापसी :-

क्रमांक	माल का विवरण	भारत के बाहर निर्यातित या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्रीत या राज्य के बाहर पारेषित या अन्तरित माल का विक्रय / अन्तरण मूल्य	संगत खरीद मूल्य	कर की दर	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6

(ii) अधिनियम की धारा-6 के अधीन छूट :-

क्रमांक	माल का विवरण	जब खरीदों पर अदा मूल्य सम्वर्धित कर की छूट अनुमन्य हो		
		माल का खरीद मूल्य	कर बीजक / बिक्रय बीजक में वसूली गयी मूल्य सम्वर्धित कर की धनराशि	अनुमन्य छूट की धनराशि
1	2	3 क	3ख	3 ग

जब बिक्री पर अदा मूल्य सम्वर्धित कर की छूट अनुमन्य हो			अनुमन्य छूट की कुल धनराशि
माल का विक्रय मूल्य	कर बीजक / बिक्रय बीजक में वसूली गयी मूल्य सम्वर्धित कर की धनराशि	अनुमन्य छूट की धनराशि	
4 क	4 ख	4 ग	5

(ग) कुल घटाने योग्य कर :- ----------

(घ) शुद्ध देय कर :- ----------

10- जमा कर का विवरण :-

(क) निर्माता को अदा किया गया कर (अनुलग्नक-क के अनुसार) ----------

(ख) बैंक /कोषागार में जमा कर :-

बैंक / कोषागार का नाम	चालान संख्या	दिनांक	धनराशि

योग (अंकों में) ----------

(शब्दों में) ----------

(ग) कुल जमा कर {(क) +(ख)} ----------

संलग्नक: (1) ट्रेजरी चालान

(2) अनुलग्नक-क में निर्माताओं से खरीदों की सूची

घोषणा

मैं ---------- पुत्र / पुत्री / पत्नी ---------- प्रास्थिति ---------- (अर्थात् स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि) एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ एवं सत्यापित करता / करती हूँ कि इस विवरण -पत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं आंकड़े मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जानबूझकर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही दिखाने से छोड़ दिया गया है।

दिनांक ---------- हस्ताक्षर ----------

स्थान ---------- प्रास्थिति ----------

अनुलग्नक:- क

निर्माताओं से की गयी खरीदो की सूची

क्रमांक	निर्माता का नाम	टिन	कर बीजक /बिक्री बीजक का क्रमांक व दिनांक	माल का विवरण	माल का मूल्य	वसूले गये प्रवेश कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
योग						

प्रारूप-घ का संशोधन	7	उक्त नियमावली में नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित विद्यमान प्रारूप-घ के स्थान पर अनुसूची 'ख' में यथा प्रतिस्थापित प्रारूप-घ रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची -'क'

विद्यमान फार्म

प्रारुप घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम 5 का उपनियम (1) देखें)

संख्या ----------

प्रतिपर्ण

(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम ----------

3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर ----------

4- जारी करने का दिनांक ----------

5- व्यापारी का नाम और पता जिसको जारी किया गया ----------

6- अधिनियम या उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन पंजीकरण संख्या (टिन) ----------

तथा

प्रभावी होने का दिनांक ----------

व्यापारी द्वारा भरा जायेगा

मैं ---------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म इस अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या ---------- है जो दिनांक ---------- से प्रभावी है ।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि उक्त फर्म ने रुपये ---------- मूल्य की ----------(वस्तु का नाम) बिल / चालान / विक्रय बीजक / कर बीजक संख्या ----------दिनांक ---------- द्वारा सर्वश्री ---------- ----------(विक्रेता व्यापारी का नाम व पता) से खरीदा / प्राप्त किया / मंगवाया है और इस माल पर :-

* (क) मेरे द्वारा रुपये---------- कर, चालान संख्या---------- दिनांक ---------- द्वारा ---------- (बैंक/ बैंक शाखा / कोषागार /उप कोषागार का नाम व पता) में जमा कर दिया गया है ।

या

* (ख) हमारी फर्म की कर देयता नहीं है क्योंकि इस माल की बिक्री सर्वश्री ---------- को की गयी है और उनसे घोषणा पत्र संख्या ---------- दिनांक ---------- प्राप्त कर लिया गया है ।

स्थान ----------

दिनांक ----------

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम-5 का उपनियम-(1) देखें)

संख्या ----------

द्वितीय प्रति

(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम ----------

3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर ----------

4- जारी करने का दिनांक ----------

5- व्यापारी का नाम और पता जिसको जारी किया गया ----------

6- अधिनियम या उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन पंजीकरण संख्या (टिन) तथा प्रभावी होने का दिनांक ----------

व्यापारी द्वारा भरा जायेगा

मैं ---------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म इस अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या ---------- है जो दिनांक ---------- से प्रभावी है।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म ने रुपये ---------- मूल्य की ---------- (वस्तु का नाम) बिल / चालान / विक्रय बीजक / कर बीजक संख्या ---------- दिनांक ---------- द्वारा सर्वश्री ----------(विक्रेता व्यापारी का नाम व पता) से खरीदा / प्राप्त किया / मंगवाया है और इस माल पर :-

* (क) मेरे द्वारा रुपये---------- कर, चालान संख्या---------- दिनांक ---------- द्वारा ---------- (बैंक/ बैंक शाखा / कोषागार /उप कोषागार का नाम व पता) में जमा कर दिया गया है।

या

* (ख) हमारी फर्म की कर देयता नहीं है क्योंकि इस माल की बिक्री सर्वश्री ---------- को की गयी है और उनसे घोषणा पत्र संख्या ---------- दिनांक ---------- प्राप्त कर लिया गया है।

स्थान ----------

दिनांक ----------

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम-5 का उपनियम-(1) देखें)

संख्या ----------

मूल प्रति

(क्रेता द्वारा विक्रेता को जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम ----------

3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर ----------

4- जारी करने का दिनांक ----------

5- व्यापारी का नाम और पता जिसको जारी किया गया ----------

6- अधिनियम या उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन पंजीकरण संख्या (टिन) ----------

तथा

प्रभावी होने का दिनांक ----------

व्यापारी द्वारा भरा जायेगा

मैं ---------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म इस अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या ---------- है जो दिनांक ---------- से प्रभावी है।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि उक्त फर्म ने रुपये ---------- मूल्य की ---------- ---------- (वस्तु का नाम) बिल / चालान / विक्रय बीजक / कर बीजक संख्या ---------- दिनांक ---------- द्वारा सर्वश्री ----------(विक्रेता व्यापारी का नाम व पता) से खरीदा / प्राप्त किया / मंगवाया है और इस माल पर :-

* (क) मेरे द्वारा रुपये---------- कर, चालान संख्या---------- दिनांक ---------- द्वारा ---------- ---------- (बैंक/ बैंक शाखा / कोषागार /उप कोषागार का नाम व पता) में जमा कर दिया गया है।

या

* (ख) हमारी फर्म की कर देयता नहीं है क्योंकि इस माल की बिक्री सर्वश्री ---------- को की गयी है और उनसे घोषणा पत्र संख्या ---------- दिनांक ---------- प्राप्त कर लिया गया है।

स्थान ----------

दिनांक ----------

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

* जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुसूची 'ख'

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(नियम-5 का उपनियम-(1) देखें)

क्रम संख्या ----------

प्रतिपर्ण

(बिक्रेता द्वारा अनुवर्ती क्रेता को जारी किया जाने वाला घोषणा-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम ----------

3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर ----------

4- जारी करने का दिनांक ----------

5- व्यापारी का नाम जिसको जारी किया गया ----------

6- व्यापारी का पता जिसको जारी किया गया ----------

7- अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या या उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन करदाता पहचान संख्या (टिन) ----------

तथा

इसके प्रभावी होने का दिनांक ----------

(व्यापारी द्वारा भरा जायेगा)

मैं ---------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसका पंजीकरण संख्या / करदाता पहचान संख्या (टिन) ---------- है जो दिनांक ---------- से प्रभावी है।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म ने रुपये ---------- मूल्य की ----------वस्तु का नाम) बिक्रय बीजक / कर बीजक / अन्तरण बीजक संख्या ---------- दिनांक ---------- द्वारा सर्वश्री ----------

(क्रेता व्यापारी का नाम व पता) को बिक्री / आपूर्ति / अन्तरित की है और इस माल पर :-

(क) हमारी फर्म द्वारा कर जमा कर दिया गया है / दिनांक ---------- को समाप्त होने वाली कर-अवधि की विवरणी के साथ हमारे द्वारा जमा किया जायेगा,

या

(ख) पूर्ववर्ती स्तर पर कर अदा कर दिया है और इस सम्बन्ध में बिक्रेता व्यापारी से हमे प्रपत्र -घ संख्या---------- दिनांक ---------- प्राप्त है।

स्थान ----------

दिनांक ----------

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(नियम-5 का उपनियम-(1) देखें)

क्रम संख्या ----------

द्वितीय प्रति

(बिक्रेता द्वारा अनुवर्ती क्रेता को जारी किया जाने वाला घोषणा-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम ----------

3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर ----------

4- जारी करने का दिनांक ----------

5- व्यापारी का नाम जिसको जारी किया गया ----------

6- व्यापारी का पता जिसको जारी किया गया ----------

7- अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या या उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन करदाता पहचान संख्या (टिन) ----------

तथा

इसके प्रभावी होने का दिनांक ----------

(व्यापारी द्वारा भरा जायेगा)

मैं ---------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसका पंजीकरण संख्या / करदाता पहचान संख्या (टिन) ---------- है जो दिनांक ---------- से प्रभावी है।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म ने रुपये ---------- मूल्य की ---------- (वस्तु का नाम) बिक्रय बीजक / कर बीजक / अन्तरण बीजक संख्या ---------- दिनांक ---------- द्वारा सर्वश्री ----------

(क्रेता व्यापारी का नाम व पता) को बिक्री / आपूर्ति / अन्तरित की है और इस माल पर :-

(क) हमारी फर्म द्वारा कर जमा कर दिया गया है / दिनांक ---------- को समाप्त होने वाली कर-अवधि की विवरणी के साथ हमारे द्वारा जमा किया जायेगा,

या

(ख) पूर्ववर्ती स्तर पर कर अदा कर दिया है और इस सम्बन्ध में बिक्रेता व्यापारी से हमे प्रपत्र -घ संख्या---------- दिनांक ---------- प्राप्त है।

स्थान ----------

दिनांक ----------

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

प्रारुप-घ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(नियम-5 का उपनियम-(1) देखें)

क्रम संख्या ----------

मूल प्रति

(बिक्रेता द्वारा अनुवर्ती क्रेता को जारी किया जाने वाला घोषणा-पत्र)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1- जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ----------

2- जारी करने वाले अधिकारी का नाम ----------

3- जारी करने वाले अधिकारी की मुहर ----------

4- जारी करने का दिनांक ----------

5- व्यापारी का नाम जिसको जारी किया गया ----------

6- व्यापारी का पता जिसको जारी किया गया ----------

7- अधिनियम के अधीन पंजीकरण संख्या या उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन करदाता पहचान संख्या (टिन) ----------

तथा

इसके प्रभावी होने का दिनांक ----------

(व्यापारी द्वारा भरा जायेगा)

मैं ---------- (पूरा नाम) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म अधिनियम / उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम-2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इसका पंजीकरण संख्या / करदाता पहचान संख्या (टिन) ---------- है जो दिनांक ---------- से प्रभावी है।

2- मैं अग्रतर प्रमाणित करता हूँ कि हमारी उक्त फर्म ने रुपये ---------- मूल्य की ---------- (वस्तु का नाम) बिक्रय बीजक / कर बीजक / अन्तरण बीजक संख्या ---------- दिनांक ---------- द्वारा सर्वश्री ----------

(क्रेता व्यापारी का नाम व पता) को बिक्री / आपूर्ति / अन्तरित की है और इस माल पर :-

(क) हमारी फर्म द्वारा कर जमा कर दिया गया है / दिनांक ---------- को समाप्त होने वाली कर-अवधि की विवरणी के साथ हमारे द्वारा जमा किया जायेगा,

या

(ख) पूर्ववर्ती स्तर पर कर अदा कर दिया है और इस सम्बन्ध में बिक्रेता व्यापारी से हमे प्रपत्र -घ संख्या---------- दिनांक ---------- प्राप्त है।

स्थान ----------

दिनांक ----------

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

प्रारूप-ड. का संशोधन	8	उक्त नियमावली में नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित विद्यमान प्रारूप-ड. के स्थान पर अनुसूची 'ख' में यथा प्रतिस्थापित प्रारूप-ड. रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची 'क'

विद्यमान फार्म

प्रारुप-ङ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 का नियम- 7 खण्ड-(ख) देखें)

विक्रय-धन की विवरणी जिस पर ---------- मास के लिये कर वसूल किया गया है ।

1- विनिर्माता का नाम ----------

2- पूरा पता ----------

3- विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम और प्रास्थिति (अर्थात् स्वामी, भागीदार, निदेशक आदि) ----------

4- वस्तु का नाम जिस पर कर वसूल किया गया है ----------

5- माह के दौरान कुल आपूरित किये गये माल का मूल्य रुपये ----------

6- आपूरित किये गये माल का वह मूल्य जिसपर कर नहीं वसूला गया है । (कारण सहित) रुपये ----------

7- आपूरित किये गये माल का वह मूल्य जिसपर कर वसूला गया हो :-

8- वसूले गये कर की धनराशि :- रुपये ----------

9- जमा कर की धनराशि :- चालान संख्या ----------

दिनांक ----------

बैंक / शाखा का नाम व पता ----------

घोषणा

मैं ---------- के ज्ञात व्यवसाय के ---------- (हैसियत-स्वामी, भागीदार, निदेशक आदि) के रुप में अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ और सत्यापित करता हूँ कि विवरणी में दिया गया विवरण, अंक, अनुलग्नक सत्य और पूर्ण हैं एवं जानबूझकर कुछ भी छिपाया नहीं गया है या असत्य कहा गया है ।

स्थान ---------- हस्ताक्षर ----------

दिनांक ---------- हैसियत ----------

अनुलग्नक

---------- माह के लिये विक्रय धन

क्रमांक	व्यापारी का नाम और पता	बिल /कर / विक्रय बीजक संख्या	दिनांक	माल का मूल्य (रुपये में)	वसूला किया गया कर	बैंक ड्राफ्ट संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
माल के मूल्य का कुल योग और वसूल किया गया कर						

संलग्नक:- ट्रेजरी चालान

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

अनुसूची 'ख'

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप

प्रारुप-ङ

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 के नियम- 7 का खण्ड-(ख) देखें)

माह ----------वर्ष ----------का विक्रय धन के आवर्त की विवरणी जिसपर विनिर्माता द्वारा कर वसूला गया है

1- विनिर्माता का नाम ----------

2- विनिर्माता का पूरा पता ----------

3- विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम और प्रास्थिति (अर्थात् स्वामी/ भागीदार/ निदेशक आदि) ----------

4- वस्तु का नाम जिस पर कर वसूल किया गया है ----------

5- माह के दौरान कुल आपूरित किये गये माल का मूल्य रुपये ----------

6- आपूरित किये गये माल का वह मूल्य जिसपर कोई कर नहीं वसूला गया है --

(i) अन्तर्राज्यीय बिक्री रुपये ----------

(ii) राज्य के बाहर अन्तरण रुपये ----------

(iii) निर्यात बिक्री रुपये ----------

(iv) स्थानीय क्षेत्र के अन्दर बिक्री रुपये ----------

(v) अन्य बिक्री (अंकित करें) रुपये ----------

योग रुपये ----------

7- आपूरित किये गये माल का वह मूल्य जिसपर कर वसूला गया है :- रुपये ----------

8- वसूले गये कर की धनराशि :- रुपये ----------

9- जमा कर की धनराशि :- रुपये ----------

10- ट्रेजरी चालान संख्या :- ----------

दिनांक ----------

बैंक और शाखा का नाम :- ----------

घोषणा

मैं ----------, जो सर्वश्री---------- के ज्ञात व्यवसाय के ---------- ---------- (प्रास्थिति स्वामी/ भागीदार/ निदेशक आदि) हूँ, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ और सत्यापित करता हूँ कि विवरणी और इसके अनुलग्नक में दिये गये विवरण एवं आंकड़े में भी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है एवं जानबूझकर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही दिखाने से छोड़ दिया गया है।

स्थान ----------

दिनांक ----------

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

अनुलग्नक

माह ----------वर्ष ---------- के लिये बिक्री के अवर्त्त एवं कर का विवरण ----------

क्रमांक	माल खरीदने / प्राप्त करने वाले व्यापारी का नाम और पता	कर बीजक / बिक्री बीजक का क्रमांक	दिनांक	माल का मूल्य (रुपये में)	वसूला किया गया प्रवेश कर (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
योग :-					

संलग्नक:- ट्रेजरी चालान

हस्ताक्षर ----------

प्रास्थिति ----------

नया प्रारूप-च का बढ़ाया जाना	9	उक्त नियमावली में प्रारूप-ड. के पश्चात् नीचे दिया गया प्रारूप-च बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

प्रारुप -च

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 2008 के नियम-4 का उपनियम (1) देखे)

वार्षिक कर विवरणी का प्रारुप

मैं ---------- पुत्र / पुत्री / पत्नी ----------

प्रास्थिति ---------- सर्वश्री ----------

एतद्द्वारा वार्षिक कर विवरणी एवं व्यापार से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् प्रस्तुत करता हूँ :-

[साफ अक्षरों में भरा जाय]

7.	कर निर्धारण वर्ष	- -
8.	कर - अवधि के समापन का दिनांक	
9.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पद नाम	-
10.	मण्डल / खण्ड का नाम	-
11.	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	-
12.	कर दाता की पहचान संख्या (टिन)	-

6-क - बैक खातों का विवरण :-

क्रमांक	बैंक और शाखा का नाम एवं पता	खातों की प्रकृति	खाता संख्या
1	2	3	4

7- स्थानीय क्षेत्र में माल की खरीद / प्राप्ति का विवरण :-

क्रम संख्या	माल का विवरण	उत्तर प्रदेश के बाहर से खरीदे गये / प्राप्त माल का धारा-2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अनुसार मूल्य	निर्माता से खरीद / प्राप्ति			ऐसे माल का मूल्य जिसकी किसी पूर्ववर्ती खरीद या बिक्री के स्तर पर कर जमा है
			निर्माता से खरीदे गये माल का मूल्य जिसपर निर्माता द्वारा कर वसूला गया है।	धारा-2 की उपधारा -(1) के खण्ड-(ज)में परिभाषित अन्य खर्चे जो माल के मूल्य का भाग हैं	निर्माता द्वारा वसूले गये कर की धनराशि	
1	2	3	4 क	4 ख	4 ग	5

दूसरे व्यापारियों से खरीदा गया / प्राप्त माल जिसकी किसी पूर्ववर्ती खरीद या बिक्री के स्तर पर कर जमा नहीं है		अन्य खरीदे / प्राप्तियां, यदि कोई हों,	स्तम्भ-3, 4क ,4ख , 5, 6क, 6ख एवं 7 का योग
बिक्री बीजक / कर बीजक / अन्तरण बीजक के अनुसार माल का मूल्य	धारा-2 की उपधारा -(1) के खण्ड-(ज) में परिभाषित अन्य खर्चे जो माल के मूल्य का भाग हैं		
6 क	6 ख	7	8

8- माल की बिक्री / अन्तरण का विवरण :-

क्रमांक	माल का विवरण	निर्यात के दौरान बिक्री		अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री		राज्य के बाहर माल का अन्तरण / पारेषण	
		माल का विक्रय मूल्य	माल का संगत खरीद मूल्य जिसपर कर जमा है	माल का विक्रय मूल्य	माल का संगत खरीद मूल्य जिसपर कर जमा है	माल की मात्रा	माल का खरीद मूल्य जिसपर कर जमा है
1	2	3 क	3 ख	4 क	4 ख	5 क	5 ख

स्तम्भ-3ख , 4ख एवं 5ख का योग	अन्य बिक्री (बिक्रीत माल का मूल्य)	बिक्रियों का योग
6	7	8

9 कर की गणना

(क) माल की खरीद पर देय कर की सकल धनराशि :-

क्रमांक	माल का विवरण	धारा-2 की उपधारा -(1) के खण्ड (ज) में परिभाषित खर्चों सहित माल का कुल खरीद मूल्य	माल का खरीद मूल्य जिसपर किसी पूर्ववर्ती खरीद या बिक्री के स्तर पर कर जमा है *	बिक्रीत / अन्तरित माल का वह खरीद मूल्य जिसपर उसके क्रेता / अन्तरिती पर कर दायित्व है * *	करयोग्य खरीद की धनराशि (3-4-5)	कर की दर	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

* अनुलग्नक च-1 में खरीद का विवरण संलग्न करें ।

* * अनुलग्नक च-2 में विक्रय / अन्तरण का विवरण संलग्न करें ।

(ख) घटाइयें :-

(i) भारत के बाहर निर्यातित अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्रीत अथवा राज्य के बाहर पारेषित या अन्तरित माल पर वापसी :-

क्रमांक	माल का विवरण	भारत के बाहर निर्यातित या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्रीत या राज्य के बाहर पारेषित या अन्तरित माल का विक्रय / अन्तरण मूल्य	संगत खरीद मूल्य	कर की दर	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6

(ii) अधिनियम की धारा-6 के अधीन छूट :-

क्रमांक	माल का विवरण	जब खरीदो पर अदा मूल्य सम्वर्धित कर की छूट ग्राह्य हो		
		माल का खरीद मूल्य	कर बीजक / बिक्रय बीजक में वसूली गयी मूल्य सम्वर्धित कर की धनराशि	ग्राह्य छूट की धनराशि
1	2	3 क	3ख	3 ग

जब बिक्री पर अदा मूल्य सम्वर्धित कर की छूट ग्राह्य हो			ग्राह्य छूट की कुल धनराशि
माल का विक्रय मूल्य	कर बीजक / बिक्रय बीजक में वसूली गयी मूल्य सम्वर्धित कर की धनराशि	ग्राह्य छूट की धनराशि	
4 क	4 ख	4 ग	5

(ग) कुल घटाने योग्य कर :- ----------

(घ) शुद्ध देय कर :- ----------

10- निर्माताओं को अदा किये गये प्रवेश कर का विवरण --

क्रमांक	माह	अदा प्रवेश कर की धनराशि
1-	अप्रैल	
2-	मई	
3-	जून	
4-	जुलाई	
5-	अगस्त	
6-	सितम्बर	
7-	अक्टूबर	
8-	नवम्बर	

9-	दिसम्बर	
10-	जनवरी	
11-	फरवरी	
12-	मार्च	
योगः-		

11- विभिन्न कर अवधियों की विवरणी के साथ कोषागार / बैंक में जमा प्रवेश कर का विवरण :-

क्रमांक	माह	ट्रेजरी चालान संख्या व दिनांक	कर की धनराशि	ब्याज, यदि कोई हो ,	चालान की कुल धनराशि
1-	अप्रैल				
2-	मई				
3-	जून				
4-	जुलाई				
5-	अगस्त				
6-	सितम्बर				
7-	अक्टूबर				
8-	नवम्बर				
9-	दिसम्बर				
10-	जनवरी				
11-	फरवरी				
12-	मार्च				
योग :-					

संलग्नक: (1) प्रपत्र-घ की मूल प्रतियों के साथ अनुलग्नक च-1 में कर प्रदत्त खरीदों की सूची।

(2) माल के बिक्रय / अन्तरण की सूची अनुलग्नक च-2 में, जब ऐसे माल के क्रेता पर कर का दायित्व है।

टिप्पणी :- यदि विभिन्न कर-अवधियों की विवरणी के साथ अनुलग्नकों में प्रस्तुत सूची अपूर्ण है अथवा इन सूचियों में अंकित पूरे वर्ष के समेकित आंकड़े इस विवरणी में प्रदर्शित संगत आंकड़ों से भिन्न है, तो कर अवधियों के विवरणी के अनुलग्नक 'क' में वांछित निर्माताओं से खरीद की पूरी सूची भी इस वार्षिक विवरणी के साथ दाखिल की जायेगी ।

घोषणा

मैं ---------- पुत्र / पुत्री / पत्नी ---------- प्रास्थिति ---------- (अर्थात् स्वामी, निदेशक, साझीदार आदि) एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ एवं सत्यापित करता / करती हूँ कि इस विवरण -पत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं आंकड़े मेरी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण है तथा जानबूझकर न तो कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही दिखाने से छोड़ दिया गया है।

हस्ताक्षर ----------

दिनांक ----------

प्रास्थिति ----------

स्थान ----------

अनुलग्नक:- च-1

कर प्रदत्त खरीदों की सूची

क्रमांक	विक्रेता व्यापारी का नाम	टिन	कर बीजक /बिक्री बीजक का क्रमांक व दिनांक	माल का विवरण	माल का मूल्य	प्राप्त फार्म-डी का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
योग						

अनुलग्नक:- च-2

विक्रय / अन्तरण की सूची जहाँ पर क्रेता / अन्तरिती पर कर का दायित्व है

क्रमांक	क्रेता / अन्तरिती व्यापारी का नाम	क्रेता / अन्तरिती व्यापारी का टिन	कर बीजक / बिक्री बीजक / अन्तरण बीजक का क्रमांक एवं दिनांक	माल का विवरण	माल का मूल्य
1	2	3	4	5	6
योग :-					

वार्षिक कर विवरणी के प्राप्ति की रसीद

1-	कर निर्धारण वर्ष	2 0 _ _ - 2 0 _ _
2-	कर निर्धारण अवधि	D D M M Y Y से D D M M Y Y
3-	व्यापारी का नाम / पता	-
4-	कर दाता पहचान संख्या (टिन)	

5- उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम-2007 के अधीन माल का करयोग्य मूल्य	धनराशि
6- सकल देय कर	
7- ग्राह्य वापसी	
8- ग्राह्य छूट	
9- शुद्ध देय कर	
10- वर्ष के दौरान जमा कर	
11- वापसी / मांग	

संलग्नक - 1. प्रपत्र- च में वार्षिक विवरणी
2. जमा घोषणा पत्र

प्रपत्र का प्रकार	संख्या

स्वामी / भागीदारी/ कर्ता आदि का हस्ताक्षर एवं नाम :-----------------------------
व्यापारी का नाम एवं पद (प्रास्थिति) ----------------------------
टिन --------------------------------

प्राप्ति संख्या एवं दिनांक ------------------------------------
वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी का हस्ताक्षर , नाम एवं पद ------------------------------------

आज्ञा से

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव